

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान — सरकार बनाम मुकेश कुमार कुमावत

मुकदमा न. 17/19/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

12.07.2019

पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी मुकेश कुमार कुमावत पुत्र गिरधारीलाल कुमावत मैसर्स— कृष्णा मिर्च मसाला उधोग वा.न. 1 मण्डा सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ— 1371 खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (कृष्णा) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Misbranded Food का पाया गया है। प्रकरण में राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट में अमानक (Misbranded) पाये जाने के पश्चात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा अप्रार्थी को उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर 30 दिन के भीतर पुनः जांच करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत करने की सूचना दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पेश नहीं किया गया। विक्रेता द्वारा मिर्च पाउडर (कृष्णा) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया, परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर एवं कारोबार को मध्य नजर रखते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अप्रार्थी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी मुकेश कुमार कुमावत पुत्र गिरधारीलाल कुमावत मैसर्स— कृष्णा मिर्च मसाला उधोग वा.न. 1 मण्डा सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ के 5,000/- रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो

निर्णय सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

12/7/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर